प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **61/2025** (अपील सूचना का अधिकार)

कमलेश कुमार नागदा पिता छोगालाल पताः ग्राम देवस्थान मादडी, पोस्ट–कमोल, तहसील–सायरा, उदयपुर

..............**अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर(प्रशासन), उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 02-06-2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत दिनांक 18.02.2025 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर/सू.अ./प्रथम अपील/60/25/387–88 दिनांक 15.04.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 19.05.25 को प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि लोक सूचना अधिकारी से 2 बिन्दुओं की सूचना मांगी गई परन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 12.05.2025 से मांगी गई सूचना उपलब्ध न करवाकर गलत व भ्रामक सूचना उपलब्ध करवाई गई है।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर(प्रशासन), उदयपुर ने जरिये पत्रांकः प./41/2/प्र.अ.स./61/25/406–07 दिनांक 15.05.2025 से न्यायालय को प्रत्युत्तर एवं अपीलार्थी/प्रार्थी को सूचना प्रेषित की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर(प्रशासन), उदयपुर द्वारा जरिये पत्रांक 395–96 दिनांक 12.05.2025 से सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 15.05.2025 से प्रेषित सूचना के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। साथ ही लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर(प्रशासन), उदयपुर को निर्देशित किया जाता है कि

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

वह सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र का नियमानुसार निश्चित समयावधि में निस्तारण करें।

निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02-06-25 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर